

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 124/2025

उनवान

सविता पत्नी कैलाशचन्द्र जाति भील निवासी चन्दनपुरा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.) ।

—: प्रार्थीगण ।

**बनाम**

तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.) ।

—: अप्रार्थीगण ।

### प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 11.12.2025


प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया कि खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि वाके ग्राम बिलोदा पटवार हल्का बिलोदा, तहसील अरथूना, जिला बांसवाडा में खाता स्थित है। जिसकी खाता संख्या नया 305 व पुराना 296 के सर्वे नम्बर 133 रकबा 0.03 हे., सर्वे नम्बर 134 रकबा 0.03 हे., सर्वे नम्बर 135 रकबा 0.03 हे., सर्वे नम्बर 136 रकबा 0.02 हे., सर्वे नम्बर 137 रकबा 0.03 हे., सर्वे नम्बर 139 रकबा 0.10 हे., सर्वे नम्बर 140 रकबा 0.40 हे., सर्वे नम्बर 141 रकबा 0.11 हे., सर्वे नम्बर 4725/142 रकबा 0.40 हे. कुल किता 09 कुल रकबा 0.79 हे0 है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया व प्रार्थीया का परिवार लम्बे समय से उपयोग, उपभोग करते हुवे काशत करते आ रहे है एवं अपना जीवन यापन करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में प्रार्थीया को उक्त भूमि का राजस्व विभाग से ऑनलाईन नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थीया को यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थीया के उक्त खाते की भूमि पर मौके पर कृषि काशत कर रही है वहां पर तरमीम नहीं होकर ऑनलाईन गलत नक्शा राजस्व रेकॉर्ड में दर्शा रहा हैं। प्रार्थीया ने शिविर प्रशासन गांवों संग-2025 में जाकर जमाबन्दी एवं ट्रेस नक्शा प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि उपरोक्त वर्णित खाते की कृषि भूमि में मौके एवं ऑनलाईन नक्शे में भिन्नता है। इसलिए ऑनलाईन नक्शा ट्रेस की लट्ठा अनुरूप राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्त किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश हुआ ।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना के नाम सम्मन जारी किया गया। भूमिधारी तहसीलदार अरथूना द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन कि प्रार्थीया सविता पत्नी कैलाशचन्द्र के स्वामित्व एवं कब्जे काशत के ग्राम बिलोदा, पटवार हल्का बिलोदा में खातेदारी खाता संख्या 305 खसरा नम्बर 4725/142 रकबा 0.40 हैक्टेयर दर्ज

रिकार्ड है किन्तु उक्त खसरा नम्बर कि कृषि भूमि के पटवारी लट्ठा में प्रार्थीया का जहां कब्जा काशत है वहा पर ही तरमीम की गई है जो कि वास्तविक व सही है लेकिन सेग्रीगेशन के दौरान उक्त खसरा नम्बर 4725/142 रकबा 0.40 हैक्टेयर की ऑनलाईन तरमीम अन्य जगह पर कर दी गई है जो पटवारी लट्ठा व ऑनलाईन में भिन्नता है। पटवारी के लट्ठे में हाल रिकार्ड के अनुसार जो तरमीम की गई है उसी जगह पर प्रार्थीया का कब्जा व काशत है लेकिन ऑनलाईन तरमीम की गई है वहां पर प्रार्थीया का कब्जा नहीं है व न ही काशत की जा रही है। ऑनलाईन तरमीम की गई है वह राजस्व लट्ठे से भिन्न है जिसे शुद्ध कर राजस्व लट्ठे अनुसार सही किया जाना है। उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 4725/142 रकबा 0.40 हैक्टेयर में प्रार्थीया के कब्जा काशत अनुसार ऑनलाईन तरमीम को राजस्व लट्ठे अनुसार शुद्ध किया जाना उचित होना बताते हुए रिपोर्ट मय जमाबन्दी लट्ठा नक्शा की नकल व ऑनलाईन नक्शा ट्रेस पेश हुई।

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व संलग्न दस्तावेजो तथा अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, अस्थूना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने से यह साबित होता है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि की मूल नक्शा ट्रेस में तरमीम की गई है जिसके अनुरूप ऑनलाईन भू-नक्शे में तरमीम नहीं की गई है। तहसीलदार, अस्थूना द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि वाद ग्रस्त भूमि की ऑनलाईन भू-नक्शे में तरमीम मूल नक्शा लट्ठा के अनुरूप नहीं की गई है। जबकि प्रार्थीया मूल लट्ठा नक्शा के अनुरूप अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 4725/142 रकबा 0.40 हे. भूमि की लट्ठा नक्शा अनुरूप ऑनलाईन भू-नक्शे में तरमीम किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 4725/142 रकबा 0.40 हे. भूमि की मूल लट्ठा नक्शा अनुरूप ऑनलाईन भू-नक्शे में तरमीम दुरस्त किये जाने आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, अस्थूना को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2025 को जारी किया गया।

  
(श्रवण सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी,  
गढ़ी